भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1279
(09 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एसएजीवाई का कार्यान्वयन

1279. श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों के विकास के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार के पास लघु उद्योगों की स्थापना करने तथा गांवों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) : सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत गोद ली गई ग्राम पंचायतें ग्राम सभा और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाएं शामिल होती हैं। मंत्रालय राज्य के उन प्रभारी अधिकारियों को वीडीपी तैयार करने और योजनाओं के तालमेल दृष्टिकोण के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है जो स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन का समन्वय करते हैं और वीडीपी के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। वीडीपी के कार्यान्वयन की निगरानी मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित एसएजीवाई के सांझी पोर्टल/एमआईएस के माध्यम से की जाती है जिसमें राज्य और जिला अधिकारी वीडीपी के

अंतर्गत ली गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को अद्यतन करते हैं। चूंकि संपूर्ण कार्यक्रम तालमेल पद्धति द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए इसमें जिला कलेक्टर की भूमिका अहम होती है। एसएजीवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर एसएजीवाई को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अधिकारी है। जिला कलेक्टर वीडीपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसमें भाग ले रहे संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें करता है। एसएजीवाई पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है ताकि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच योजनाओं का निर्बाध तालमेल सुनिश्चित हो सके।

इस योजना के दिशानिर्देश 14 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, असमिया, कश्मीरी, कोंकणी और उड़िया) में तैयार किए गए हैं तथा पोर्टल saanjhi.gov.in में अपलोड कर दिए गए हैं। ये दिशानिर्देश योजना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी हितधारकों को वितरित कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने एसएजीवाई के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों की सहायता करने वाली सहायक सामग्रियों को शामिल करके एसएजीवाई पर एक संग्रह तैयार किया है जिसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को वितरित कर दिया गया है। साथ ही मंत्रालय ने एसएजीवाई ग्रीम पंचायतों के लाभ के लिए ग्राम विकास के लिए उपलब्ध 127 केंद्रीय और 1,806 राज्य योजनाओं को शामिल करके 'समन्वय' नाम से एक संकलन भी तैयार किया है जिसे तालमेल को सुगम बनाने के लिए राज्यों के साथ साझा कर दिया गया है।

(ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है जो प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। अनुमानित 53.8 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने में कुल 6.53 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की गई है। परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) परंपरागत कारीगरों की सहायता करती है और स्थायी रोजगार के लिए उन्हें क्लस्टरों में संगठित करती है। 335 क्लस्टरों को स्वीकृति दी गई है जिससे 1.98 लाख कारीगरों को लाभ हुआ है।

****